

218

श्री अशोक शर्मा,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

देवा में

श्रीमान  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
विभागाध्यक्ष-सहायक अध्यक्ष,  
प्रति शिक्षा विभाग नई दिल्ली-110002

विभागाध्यक्ष

दिनांक: 09 अगस्त, 1995

विषय:- भारत रत्न में 16 अक्टूबर 12 नवम्बर, गाजियाबाद को अर्ज/पत्र  
प्रमाण पत्र दिने जाने के सम्बन्ध में ।

सहायक,

अनुभव विषय परस्मै यह पत्रों का निर्देश हुआ है कि भारत रत्न में  
दिसंबर-12 कोषा गाजियाबाद को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली को  
सम्बन्ध प्राप्त दिने जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिशर्तों  
पूर्वक अनुमति नहीं है :-

- 1- शिक्षा विभाग की संश्लेषित शिफारशी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- शिक्षा विभाग की प्रश्नक समिति में शिक्षा विभाग द्वारा भाग लेने का हक प्राप्त होगा ।
- 3- शिक्षा विभाग में कम से कम एक प्रतिभा-रक्षण अनुष्ठान अर्थात्/अनुष्ठान कायम दिने  
के अलावा के लिए सुरक्षित रहने और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा  
संश्लेषित शिफारशी में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित गुणक के अतिरिक्त  
नहीं किया जायेगा ।
- 4- राज्य सरकार राज्य सरकार से किसी अनुष्ठान की भांति नहीं ही कायम की जायेगी  
परिषद में शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा परिषद से सम्बन्ध प्राप्त है तथा कि इस  
में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की शिफारशी के प्रमाण पत्रों को  
प्रमाण पत्र पर परिषदों से सम्बन्ध प्राप्त होने की शिफारशी के परिणाम के अनुसार  
राज्य सरकार से अनुष्ठान स्वतः सम्पन्न हो जायेगा ।
- 5- राज्य सरकार शिक्षा तथा शिफारशी समितियों को राजकीय अनुष्ठान पर  
सम्बन्धित शिफारशी को अनुष्ठान केसवकों तथा अन्य पत्रों के अलावा  
नहीं कायम नहीं दिने जायेगा ।
- 6- शिफारशी की सेवा नहीं कर्नागी जायेगी और उन्हें सम्बन्ध प्राप्त शिफारशी  
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषदों के शिफारशी को अनुष्ठान सेवा शिफारशी  
सम्बन्धित जायेगा ।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर ही भी अर्ज शिफारशी दिने जायेगी कि  
अर्ज प्राप्त करेगी ।
- 8- शिक्षा विभाग का शिफारशी निर्धारित गुण/शिफारशी में रखा जायेगा ।
- 9- शिफारशी में राज्य सरकार के प्रचारियों/उप के शिक्षा शीर्ष परिषद/सर्वोच्च  
परिषदों का किया जायेगा ।
- 10- उक्त प्रतिशर्तों का पालन करना शर्त है कि शिफारशी/पत्रों को  
पत्रों किसी समय यह पत्रों जाता है कि राज्य द्वारा उक्त प्रतिशर्तों का

बड़ी विद्या का रक्षा है तो अपना ध्यान देने में विद्यार्थियों को शिक्षितता बरती या रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

अखिल भारतीय  
उप सचिव ।

संख्या 1296111/15-7-1993 त्रिपुरा

इतिविधि विभागाधिकारियों को सूचना के अन्तर्गत

देय प्रेषित :-

- 1- विद्या विभाग, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली
- 2- अखिल भारतीय उप विद्या विभाग के उपाध्यक्ष के पास ।
- 3- विद्या विभाग के निरीक्षक, गाजियाबाद ।
- 4- निरीक्षक जॉन भारतीय विभाग, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली ।
- 5- प्रमुख मातृ सं-16 से 17 नोडल, गाजियाबाद ।

आता है,

*[Handwritten Signature]*  
अखिल भारतीय  
उप सचिव ।

*Attended*  
*[Handwritten Signature]*

Principal  
MODERN SCHOOL  
NOIDA